राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूरभाष : 0141–2552796

क्रमांक : प.11(4)/RSSMSSB/वाहन आवश्यकतानुसार/2017–18/ दिनांकः

खुली निविदा सूचना (2017–18/5.)

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में किराए के वाहन आवश्यकतानुसार लेने के लिए अनुभवी/पंजीकृत टैक्सी/वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:—

क्र. सं	विषय	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	बोली प्रतिभुति राशि
1.	आकस्मिक यात्राओं हेतुः— (क)— टैक्सी वाहन जयपुर (स्थानिय), राजस्थान एवं दिल्ली हेतु आवश्यकतानुसार वाहन। (ख)— मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक परीक्षाओं के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।	रू. 5.00 लाख	रू. 200/–	10,000/–

निविदा प्रपत्र मय शर्तों एवं विवरण सहित इस कार्यालय की रोकड़ शाखा से दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 24.07.2017 तक अपरान्ह 1:00 बजे तक विक्रय किए जावेंगे तथा भरी हुई निविदाएँ दिनांक 24.07.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.07.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेंगी। सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चैक के माध्यम से निविदा शुल्क जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा अमानत राशि जमा की जा सकती है।

(मातादीन शर्मा)

सचिव

बिड प्रपत्र क्रमांक – 2017–18/......................
बिड प्रपत्र का मूल्य :– 200/–
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि........................
(अपरान्ह 1.00 बजे तक)

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

बिड प्रपत्र

आकस्मिक यात्राओं हेतु/आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम..

   डाक का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाइल नं...

   PAN नम्बर...............................खाता संख्या.......................बैंक का नाम मय शाखा..

   आईएफएसआई कोड...

2. जिसे संबोधित किया गया है – सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
3. बिड शुल्क की रकम रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) नकद/रसीद/बैंक ड्राफ्ट नं. ....दिनांक......................... द्वारा जमा करा दी गई है/संलग्न है।
   नोट :– वेबसाइट से बिड प्रपत्र डाउनलोड नोट करने पर बिड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी./चैक द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
4. बिड संख्या 2017–18/..... में वर्णित समस्त शर्तो का तथा उक्त बिड सूचना की अन्य शर्तें, जो सलंग्न पृष्ठों में दी गई है (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों का हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने पर प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
5. धरोहर राशि रूपये **10,000/–**(अक्षरे रूपये दस हमार मात्र) नकद रसीद/बैंक ड्रॉफ्ट संख्या.............. दिनांक..................... के द्वारा जमा कराई गई है/संलग्न है।
6. किसी भी बिड अथवा समस्त बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को होगा।
7. बोलीदाता द्वारा बोर्ड की शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त अंकित नही की जायेगी एवं ऐसा करने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा। केवल बोर्ड द्वारा मांगी गयी दरों पर ही विचार किया जायेगा।
8. बोलीदाता वाहन मालिक/फर्म को निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होगें : संलग्न नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
   1. पहचान पत्र 2. पैन कार्ड की फोटो कॉपी 3. फर्म की स्थिति में TAN आवंटन की फोटो प्रति/फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रति/GST रजिस्ट्रेशन की प्रति।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

" दर अनुसूची "

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. (राजस्थान राज्य की यात्राओं/राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु) (प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि. मी. चलन के आधार पर) कर सहित	दर प्रति कि.मी. (जयपुर शहर में स्थानीय कार्यो के लिए) (प्रतिदिन न्यूनतम 80 कि.मी. चलन के आधार पर) कर सहित
A- टैक्सी वाहन			
1	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (A.C.)		
2	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (Non AC)		
3	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/SX-4 समकक्ष (NON A.C.)		
4	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/ SX-4 समकक्ष (NON A.C.)		
5	टवेरा/समकक्ष वाहन (A.C)		
6	टवेरा/समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
7	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (A.C.)		
8	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
9	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन(A.C.)		
10	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
B- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक			
11	बस बड़ी		
12	मिनी बस		
13	पिकअप/समकक्ष वाहन ()		
14	मिनी ट्रक 407		
15	मिनी ट्रक 609		
16	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट		

नोटः—दरें सभी प्रकार के कर, पेट्रोल/डीजल/ऑयल एवं चालक सहित हैं।

दिनांक
संलग्न :—

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

बिड की शर्तें

नोट :– बोलीदाता को बिड में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. बिड यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर भेजी जानी चाहिए। जिस पर **"आवश्यकतानुसार वाहन किराये हेतु बिड"** अंकित होना चाहिये।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। दरों का अंकन अंकों के साथ शब्दों में भी किया जाना चाहिए। शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
3. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाये जायेंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं वैध लाइसेंस चालक को साथ रखने होगे।
4. आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे तथा आवश्यक होने पर परमिट भी फर्म को स्वयं अपने खर्चे पर ही प्राप्त करना होगा।
5. किसी भी यांत्रिक/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण बोर्ड के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि वाहन की व्यवस्था पर बोर्ड को अतिरिक्त मूल्य, वहन करना पडा तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।
6. वाहन चालक द्वारा अपनी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वाहन चालक को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
7. वाहन चालक को नियमानुसार लॉग बुक का संधारण करना होगा।
8. बिड में दी गई दरें अनुबंध से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्य आदेश दिये जाने पर 15 दिवस में उचित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप करारनामा निष्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो बोर्ड के कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
11. बोर्ड के प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य प्रतीत होती है अथवा माईलोमीटर चलते चलते बन्द हो जाता है तो किलोमीटर का निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
12. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में स्थित शहरों में ही भेजे जायेंगे, किन्तु आवश्यकता पडने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान के बाहर भेजे जाने पर बोर्ड अलग से कर वहन नहीं करेगा। समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे।
13. वाहन के मूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा मंगाये जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
14. अनुबंध अवधि में किसी भी संविदा विरूद्ध स्थिति फर्म/व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है तो बोर्ड को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. बोलीदाता अपनी बिड अथवा उसके किसी भी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा एवं न ही किसी को आगे बिड पर दे सकेगा।
16. सफल बोलीदाता को करार के समय बिड मूल्य की राशि का 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन (Performance Security) प्रतिभूति के रूप में जमा कराने होंगे जिसमें उसके द्वारा जमा अमानत राशि का समायोजन कर लिया जायेगा । प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होंगी। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
17. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।
18. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय बोर्ड द्वारा नहीं किया जावेगा।

लिया जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक से की जावेगी।

20. वाहन वर्ष 2012 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2012 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।

21. वाहन का पंजीयन ''टी'' ''पी'' अथवा ''जी'' श्रेणी में होना चाहिये।

22. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में से प्रत्येक भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।

23. निश्चित दिनांक व प्राप्ति समय के पश्चात् प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।

24. दरें डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल एवं वाहन चालक सहित दी जावेगी तथा अनुबंध की अवधि के दौरान यदि डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल के मूल्य में वृद्धि होती है तो भी दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

25. यदि वाहन किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी को अविलम्ब, अपने स्तर से दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।

26. बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त बोलीदाता को वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा यदि बोलीदाता इसमें असफल रहता है तो बोर्ड द्वारा खुले बाजार से वाहन किराये पर लेने पर इसकी अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।

27. यदि बोलीदाता समय पर/सही वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है अथवा उसका/वाहन चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बोर्ड को किसी भी समय पर उचित अवसर देकर अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

28. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू/प्रभावी समस्त दायित्वों/नियमों का बोलीदाता द्वारा निर्वहन करना होगा।

29. अनुबंधित वाहन में यात्रा के दौरान वाहन चालक की लापरवाही या बरसात के मौसम में वाटरप्रूफ त्रिपाल नहीं लगाने या अन्य लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वह अनुबंधित वाहन मालिक से वसूली जावेगी।

30. यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त/टूट–फूट/चालान आदि होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिए संबंधित अनुबन्धकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि दुर्घटना में इस कार्यालय/संस्था को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व अनुबन्धकर्ता वाहन मालिक/फर्म का होगा।

31. पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्जेज के सिवाय समस्त कर व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे। व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/ द्वारा संदत पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्जेज का पुनर्भरण संदाय की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

32. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे यदि आवश्यकता पडे जयपुर में स्थित न्यायालय में ही प्रारंभ करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

सचिव
राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा
चयन बोर्ड, जयपुर

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मोहर